



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274149
CG-DL-E-04072026-274149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]
No. 196]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4, 2026/आषाढ 13, 1948
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4, 2026/ASHADHA 13, 1948

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

फा. सं. 37/1/(VIII)/2026/टी.— राष्ट्रपति का दिनांक 4 जुलाई, 2026 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

" संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा लोक सभा को सोमवार, 20 जुलाई, 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे नई दिल्ली में अधिवेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ।

4 जुलाई, 2026

द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति"

उत्पल कुमार सिंह, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th July, 2026

F. No. 37/1/(VIII)/2026/T.—The following order by the President dated the 4th July, 2026 is published for general information: -

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Lok Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 20th July, 2026 at 11.00 A.M.

July 4, 2026

Droupadi Murmu,
PRESIDENT”

UTPAL KUMAR SINGH, Secy. General